न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 70/2020

1. एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कार्यालय सी–स्कीम, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी वीरेन्द्र सिंह।

...प्रार्थी

बनाम

1. रिंकू मीना पुत्र गोपी सहाय जाति मीना निवासी नांदरी तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. शीला देवी पत्नि रिंकू मीना जाति मीना निवासी नांदरी तहसील सिकराय जिला दौसा।

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री सीताराम दायमा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 16.03..2021

3. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री रिंकू मीना पुत्र गोपी सहाय जाति मीना निवासी नांदरी तहसील सिकराय जिला दौसा व अन्य को 14,28,911/–(रूपये चौदह लाख अठ्ठाईस हजार नौ सौ ग्यारह) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति जो कि पट्टा सं0 14 क्षेत्रफल 226.66 वर्गगज का भूखण्ड जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम 30 फीट, उत्तर से दक्षिण 68 फीट कुल क्षेत्रफल 226.66 वर्गगज मीना मोहल्ला, ग्राम नांदरी, तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। जिसके पूर्व मे रामसिंह का आवास, पश्चिम मे काडूराम मीना का आवास, उत्तर मे कमल व मक्खन मीना का आवास, दक्षिण मे आम रास्ता है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो कि श्री गोपीसहाय मीना पुत्र श्री बद्री मीना के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी एस्पायर होम फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 16.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा